



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAA0221D1ZW



भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

पैकड दुग्ध/दुग्ध उत्पाद/घी/आइसक्रीम परिवहन कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा

भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्य संयंत्र भोपाल एवं मिनी डेयरी प्लांट बैतूल से संबद्ध कुल 13 मार्गों में साँची दूध के परिवहन कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकर्ता इस कार्य के नियम, शर्तों एवं मार्गों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com या www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। ई-निविदा शैड्यूल इस प्रकार है :-

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.05.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे से www.mptenders.gov.in से (रु.1000/- के क्रय मूल्य पर)
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.06.2026 समय दोपहर 02:00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर
3.	ई-निविदा की आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 03.06.2026 को समय दोपहर 03:00 बजे (ऑनलाइन)
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु.1,00,000/- (राशि रु. एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त दर्शित विवरण अनुसार सर्वप्रथम इच्छुक एवं सक्षम निविदाकर्ता वेबसाइट से द्वितीय निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर प्राप्त करें। तदोपरांत निविदा प्रपत्र में दर्शित समस्त आवश्यक अर्हताओं, नियमों एवं शर्तों को पढ़कर समझ लें। इनसे सहमत होने पर उक्त वेबसाइट से निविदा प्रपत्र रुपए 1000/- पर ऑनलाइन क्रय कर, वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन ही जमा करें तथा निविदा प्रपत्र की राशि एवं ईएमडी की राशि की जमा रसीद भी प्रपत्र के साथ अपलोड करें। समस्त निविदाकर्ताओं की प्रथमतः तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात ही परिवहनकर्ता के चयन की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

किसी भी निविदा को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

परिवहन कार्य की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर परिवहन का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष कर दो वर्षों हेतु अनुबंध की समान शर्तों एवं दरों पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी